

पटवारी रिपोर्ट
 श्रीमलजी, ग्राम-कान्हरा में मुताबिक राजस्व रिकॉर्डनुसार खाता सं 77, 78, 79, 80, 81,
 में दर्ज खातेदार कन्हैया उर्फ कन्हैयालाल पुत्र हीरा द्वि प्रवर्ण जाति-जाट
 हैं। जो कि एक ही खातेदार हैं अतः उक्त खातों की नया खाता-
 में खिता-07 रकबा 1.5 ई. खातेदार कन्हैया उर्फ कन्हैयालाल पुत्र हीरा द्वि-प्रव
 जाति-जाट सा. ई. खातेदार दर्ज किया जाना उचित होगा।
 (राजस्व द्वि-प्रव खाता सं-77, 78, 79, 81) खा. सं-80, 1267 खा. सं 3881.

श्रीमान जी, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी उड़ी किया जाना उचित है।
 भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट 39/11/25
 उपरान्त

तहसीलदार की रिपोर्ट
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी उड़ी किया जाना उचित है।
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
 820

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/ 494

दिनांक:- 19/12/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंभा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कान्हरा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 78, 79, 80, 81, 1267 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	कन्हैया उर्फ कन्हैयालाल पुत्र हीरा द्वि प्रवर्ण जाति-जाट	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित	खाता सं. 3881	कन्हैया उर्फ कन्हैयालाल पुत्र हीरा द्वि प्रवर्ण जाति-जाट	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित	खाता सं. 3881

क्रमांक:- 6528-29 दिनांक:- 19/12/25

प्रतिलिपि :- (1) तहसीलदार नसीराबाद को भेजना
 (2) आदेश पत्रिका में

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर